भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 699
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में जल गुणवत्ता की निगरानी

†699. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2014 से अब तक पेयजल आपूर्ति पाइपलाइनों की सफाई, फ्लशिंग और रखरखाव की आवृत्ति का महाराष्ट्र के जिला-वार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण जल निकासी (ड्रेनेज) तथा सीवरेज प्रणालियों की कोई आवधिक तकनीकी समीक्षा और ऑडिट किए गए हैं और यदि हां, तो महाराष्ट्र के जिला-वार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2014 से अब तक जीवाणु और रासायनिक संदूषण के परीक्षण सहित कुल कितने जल गुणवत्ता परीक्षण किए गए हैं और महाराष्ट्र के जिला-वार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहाँ संदूषण अनुमेय सीमाओं से अधिक पाया गया;
(घ) क्या सरकार ने उन चूकों की समीक्षा की है जिनकी वजह से जल संदूषण की बड़ी घटनाएं हुईं, जिसमें मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई जल त्रासदी भी शामिल है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं कि इस तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं की पुनरावृत्ति न हो?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव, पाइपलाइनों की सफाई, फ्लशिंग और मरम्मत सहित पेयजल अवसंरचना का प्रतिस्थापन, जल गुणवत्ता की निगरानी तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जल निकासी तथा सीवरेज प्रणालियों, जिसमें जल जीवन मिशन

(जेजेएम) के अंतर्गत आने वाली जल निकासी और सीवरेज प्रणालियां शामिल हैं, के निरीक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन अगस्त, 2019 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम निधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने, जिसमें ओटीएच की सफाई, पाइपलाइन रिसाव की जांच जैसे उपाय शामिल हैं, की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है और जन स्वास्थ्यवर्धन में सहायक है।

जेजेएम के तहत, जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे लिंक **https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report** पर देखा जा सकता है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर महाराष्ट्र द्वारा सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय

सहायता और तकनीकी सलाह के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है। शहरी परिवारों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अमृत/अमृत 2.0 जल आपूर्ति नेटवर्क की बहाली और उन्नयन तथा जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) के निर्माण/संवर्धन में सहायता प्रदान करता है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत, कुल 93,457.51 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है/बदला गया है। अमृत के तहत, अब तक 6140 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) डब्ल्यूटीपी क्षमता को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5,429 एमएलडी डब्ल्यूटीपी क्षमता का सृजन किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक 11,395 एमएलडी डब्ल्यूटीपी क्षमता को मंजूरी दी जा चुकी है। ये शोधन संयंत्र आम तौर पर इन-हाउस लैब सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं या नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के साथ सहबद्धता करते हैं।

इसके अलावा, अमृत 2.0 मिशन सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ 24x7 जल आपूर्ति, चयनित जिला मीटर वाले क्षेत्रों (डीएमए)/वार्डों में ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) गुणवत्ता वाले पानी, ऑनलाइन जल गुणवत्ता निगरानी, सेंसर और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए), जल गुणवत्ता परीक्षण में सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देता है। 258 जल आपूर्ति योजनाओं में अमृत के तहत एससीएडीए प्रणाली जैसी स्मार्ट निगरानी प्रणाली है और अमृत 2.0 के तहत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल संदूषण बहु-कारक मुद्दा है और जो सामान्यत: वितरण प्रणालियों में गड़बड़ियों और सीवरेज एवं स्वच्छता अवसंरचना के साथ उनके संपर्क के कारण होता है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किए गए पेयजल को बीआईएस आईएस 10500 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है, लेकिन गुणवत्ता में गिरावट पारेषण, भंडारण और वितरण प्रणालियों में बुनियादी ढांचे से संबंधित, प्रचालनात्मक, पर्यावरणीय और रखरखाव कारकों के कारण हो सकती है, पेयजल आपूर्ति में संदूषण के प्रमुख कारणों में जिसमें रिसाव, पाइप फटना, दोषपूर्ण जोड़, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के साथ क्रॉस-कनेक्शन, पुराना बुनियादी ढांचा और क्षरण, रुक-रुक कर जल आपूर्ति तथा कम दबाव, ठहराव और लंबे समय तक पानी का प्रतिधारण तथा भंडारण और संबद्ध अवसरंचना का खराब रखरखाव, अपर्याप्त सीवरेज तथा सेप्टिज प्रबंधन शामिल हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, पेयजल गुणवत्ता तथा निगरानी हेतु राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के संदर्भ के लिए मार्च 2024 में जल आपूर्ति और शोधन प्रणालियों (ड्रिंक फ्रॉम टैप) संबंधी मैनुअल प्रकाशित किया है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में अमृत 2.0 के तहत सभी राज्यों को राज्य या शहरी स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी संबंधी कार्यनीति तैयार करने तथा सार्वजनिक सूचना और जागरूकता के लिए जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की शहरव्यापी निगरानी हेतु संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक परामर्शी-पत्र जारी किया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया था कि इंदौर के भागीरथ पुरा में संदूषित पेयजल की घटना के बाद, पाइपलाइनों और बोरवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई थी और पानी के टैंकरों को सेवा में लगाया गया था। संदूषण के प्रकार का पता लगाने के लिए उपयोगकर्ता की ओर से कई आपूर्ति बिंदुओं से नमूने लिए गए और राष्ट्रीय परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे गए। जल के संदूषण से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10 जनवरी, 2026 से मध्य प्रदेश राज्य में "स्वच्छ जल अभियान" शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पानी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करना है। इंदौर में पेयजल संदूषण की घटना का मामला माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के समक्ष न्यायाधीन है, जिसने संदूषण के कारणों, जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों, प्रतिक्रिया की पर्याप्तता, निवारक उपायों और संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्वों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या						रासायनिक संदूषण वाले नमूनों की संख्या						जीवाणु संदूषण वाले नमूनों की संख्या					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-2026	2026-27*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27*
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	992	1,152	984	1,172	2,723	625	52	36	208	100	21	1	58	34	14	92	11	-
2	आंध्र प्रदेश	3,64,606	6,14,014	6,99,999	6,86,179	7,15,401	1,76,597	14,829	14,246	11,928	1,390	16	-	25	24	38	46	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	26,007	29,178	39,238	22,271	10,364	1,138	68	-	16	-	-	-	1	4	1	-	-	-
4	असम	2,16,323	1,69,108	2,97,405	2,70,466	2,05,120	52,398	16,510	4,289	6,531	3,692	1,782	443	292	272	960	588	53	80
5	बिहार	2,02,493	2,32,425	1,60,783	2,74,547	1,36,626	40,237	7,859	5,381	7,519	19,044	92	8	-	4	2	22	-	-
6	छतीसगढ़	68,935	1,11,208	1,23,175	1,60,891	1,01,593	24,905	1,875	2,364	1,457	690	95	29	7	12	5	7	-	-
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	गोवा	8,571	8,881	10,336	13,660	7,530	776	11	47	30	21	45	3	2	3	-	-	-	-
9	गुजरात	2,39,232	2,57,489	1,53,057	71,204	3,12,531	1,11,580	16,253	24,840	14,170	4,420	5,770	367	2,549	1,529	819	266	121	6
10	हरियाणा	96,910	82,725	69,702	60,757	44,717	19,130	397	3,689	1,275	259	71	217	497	12,657	5,507	1,348	325	1,481
11	हिमाचल प्रदेश	2,66,754	1,98,497	2,20,428	2,41,458	2,75,154	60,955	12	24	51	17	6	-	5	63	82	8	5	-
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,97,360	2,67,334	2,53,364	2,66,547	3,10,370	85,076	710	252	255	52	18	13	786	555	151	42	126	25
13	झारखंड	1,49,724	1,95,314	2,14,431	2,18,562	2,10,621	64,860	1,354	11	222	18	18	4	-	-	19	3	34	7
14	कर्नाटक	1,59,533	2,22,732	2,66,532	3,21,759	2,56,206	91,531	12,518	20,233	24,917	17,261	12,607	3,529	-	10	4,670	2,574	644	234
15	केरल	2,41,787	4,55,436	6,36,043	7,00,732	3,63,041	82,136	58,515	70,262	80,836	12,839	7,227	1,563	1,69,764	2,40,629	2,77,151	47,260	28,345	6,806
16	लद्दाख	5,359	5,480	7,706	10,229	8,325	565	129	89	122	94	91	6	44	2	80	7	-	6
17	लक्षद्वीप	3,483	4,778	6,880	7,897	3,576	774	96	117	181	72	8	-	15	25	61	171	37	1
18	मध्य प्रदेश	3,44,612	6,37,637	5,74,409	5,74,798	4,88,653	2,10,475	1,832	2,438	2,032	701	424	38	264	277	635	133	90	5
19	महाराष्ट्र	69,215	3,93,623	6,42,396	5,87,570	5,47,688	1,90,199	3,340	21,936	28,421	23,257	12,526	4,895	3,819	13,817	18,336	15,982	12,123	3,671
20	मणिपुर	17,413	22,373	17,413	19,508	5,773	1,116	2	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मेघालय	7,104	32,805	51,836	40,657	37,580	18,080	4	15	53	108	146	22	42	19	94	180	275	69
22	मिजोरम	18,930	37,306	29,224	21,908	7,788	2,500	390	473	485	135	144	43	428	1,401	1,792	1,143	250	94
23	नागालैंड	4,308	12,747	7,947	6,751	1,258	424	402	45	172	21	35	-	-	-	-	5	-	-
24	ओडिशा	2,16,816	2,37,965	2,60,445	2,72,406	2,42,555	78,830	10,971	9,032	6,309	4,017	2,648	873	222	127	38	34	5	-
25	पुदुचेरी	942	997	818	287	-	-	8	18	97	23	-	-	3	7	43	17	-	-
26	पंजाब	14,930	24,616	33,107	67,481	69,953	20,012	815	2,351	560	630	835	213	36	168	128	-	57	7
27	राजस्थान	1,11,407	1,41,441	1,98,476	1,80,063	73,144	11,621	33,486	38,405	34,222	13,675	6,219	1,144	89	203	180	51	35	31
28	सिक्किम	6,252	7,689	15,527	17,297	8,436	2,307	5	11	20	93	6	3	18	1,183	595	3,420	3,506	1,900
29	तमिलनाडु	3,46,263	6,71,421	8,48,706	9,07,742	9,43,022	3,11,678	3,514	355	215	130	14	76	165	29	5	3	1	-
30	तेलंगाना	2,23,180	2,46,089	2,91,673	2,85,183	2,78,446	77,919	508	90	2	3	2	-	2	2	-	-	-	-
31	त्रिपुरा	30,939	19,572	50,701	82,287	55,538	15,761	2,341	2,078	3,986	407	33	18	70	21	22	33	47	6
32	उत्तर प्रदेश	99,006	3,16,618	6,23,246	0,67,899	8,25,798	1,50,446	15,104	13,356	5,553	2,018	2,094	413	290	945	2,490	1,430	994	984
33	उत्तराखंड	71,203	93,407	1,19,958	1,25,553	1,06,444	33,225	14	22	63	49	71	7	55	29	43	34	1,509	618
34	पश्चिम बंगाल	3,41,587	4,67,718	5,74,096	6,82,526	4,74,910	88,474	1,19,115	1,64,989	1,51,202	1,31,806	63,227	13,218	63,255	83,319	67,058	50,794	25,413	5,349
कुल		**41,72,176**	**62,19,775**	**75,00,041**	**82,68,247**	**71,30,884**	**20,26,350**	**3,23,039**	**4,01,496**	**3,83,135**	**2,37,042**	**1,16,291**	**27,146**	**2,42,803**	**3,57,370**	**3,81,019**	**1,25,693**	**74,006**	**21,380**

*21.07.2026 तक

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महाराष्ट्र द्वारा संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या						रासायनिक संदूषण वाले नमूनों की संख्या						जीवाणु संदूषण वाले नमूनों की संख्या					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27*
1	अहमदनगर	1,130	11,978	23,277	24,936	27,392	6,936	-	29	246	119	100	12	2	90	315	418	498	175
2	अकोला	195	2,998	5,240	3,538	5,502	2,832	72	603	431	145	102	51	14	116	97	29	68	48
3	अमरावती	167	8,415	20,052	18,341	15,993	3,746	16	213	124	141	89	8	-	17	158	205	88	26
4	बीड	795	6,678	12,320	12,985	14,710	3,355	23	54	133	110	57	15	90	540	1,110	1,226	936	195
5	भंडारा	3,400	8,918	26,295	25,719	11,037	4,230	353	1,553	5,209	3,656	652	307	339	846	2,392	1,011	167	37
6	बुलढाणा	682	11,003	13,861	10,060	6,556	3,557	124	902	743	288	75	45	-	206	235	160	91	39
7	चंद्रपुर	5,404	25,413	32,701	13,432	13,439	11,467	117	1,365	1,117	67	18	77	100	222	765	106	109	37
8	छत्रपति संभाजीनगर	959	4,087	11,085	11,997	10,500	3,020	28	297	573	490	390	180	205	507	1,334	1,085	607	179
9	धाराशिव	2,136	4,252	5,055	8,513	9,412	4,859	58	44	36	61	128	107	127	251	354	451	503	146
10	धुले	3,803	13,472	10,525	11,648	10,384	3,650	18	16	19	40	44	13	24	116	74	109	103	42
11	गढ़चिरौली	424	8,675	37,230	19,883	19,829	5,787	-	122	674	185	45	16	15	157	651	246	163	19
12	गोंडिया	2,426	11,598	23,590	17,331	16,257	6,209	93	168	571	151	92	37	33	181	309	346	195	42
13	हिंगोली	1,992	6,469	5,547	5,325	3,753	2,634	90	679	822	526	391	384	167	356	254	361	101	50
14	जलगांव	1,875	8,345	20,023	24,066	22,991	8,353	10	129	243	265	147	50	8	50	212	217	232	54
15	जालना	1,813	3,659	6,455	7,736	6,174	2,901	215	412	640	372	228	198	49	284	283	159	208	73
16	कोल्हापुर	4,067	19,350	24,362	26,024	28,560	11,152	66	120	70	54	38	16	94	295	330	364	312	96
17	लातूर	2,315	2,954	5,255	3,198	5,622	2,244	198	208	336	177	89	80	216	254	472	242	189	115
18	नागपुर	1,222	10,019	30,050	27,487	15,257	3,556	2	927	3,355	4,515	1,904	158	60	146	427	507	288	172
19	नांदेड़	6,639	16,638	19,976	24,224	19,074	4,553	909	5,754	4,769	5,146	2,953	843	1,336	2,012	2,174	2,787	1,792	447
20	नंदुरबार	3,743	15,412	31,042	32,932	35,451	5,066	6	177	137	118	136	-	115	326	392	538	613	239
21	नासिक	4,886	28,188	26,484	33,930	29,047	10,835	238	1,965	639	882	714	616	73	274	514	583	540	155
22	पालघर	132	6,073	15,450	14,348	11,273	2,638	-	-	10	9	26	1	-	24	47	68	118	15
23	परभणी	1,515	3,057	4,369	5,327	5,124	1,603	156	331	286	326	276	117	84	211	350	427	331	109
24	पुणे	4,116	18,426	33,258	22,078	29,189	10,620	179	583	756	343	334	348	111	3,670	991	633	582	245
25	रायगढ़	1,823	13,654	22,698	14,543	16,183	3,842	-	83	89	12	198	70	-	225	265	84	73	38
26	रत्नागिरी	523	10,033	20,785	21,546	19,683	5,447	-	2	9	7	3	2	2	28	217	295	139	64
27	सांगली	4,465	19,569	23,822	24,692	21,169	5,917	33	83	209	180	54	16	225	664	767	884	664	222
28	सतारा	221	35,533	36,804	34,208	35,340	16,446	-	454	513	161	42	43	1	105	119	147	79	17
29	सिंधुदुर्ग	1,546	10,282	18,431	12,833	7,877	1,879	12	23	134	61	9	14	24	461	889	556	208	103
30	सोलापुर	3,278	25,045	28,535	29,349	31,822	12,979	221	2,827	2,608	2,965	2,560	661	284	912	764	643	629	280
31	ठाणे	72	4,136	5,914	8,676	8,852	2,601	-	31	37	32	28	12	-	26	39	34	21	8
32	वर्धा	328	5,422	9,949	4,272	3,556	1,870	29	1,070	1,370	175	53	31	-	9	42	14	46	33
33	वाशिम	1,019	2,477	4,305	2,353	3,101	1,831	74	180	172	55	19	17	21	37	164	78	109	34
34	यवतमाल	104	11,395	27,651	30,040	27,579	11,584	-	532	1,341	1,423	532	350	-	199	830	969	799	117
कुल		**69,215**	**3,93,623**	**6,42,396**	**5,87,570**	**5,47,688**	**1,90,199**	**3,340**	**21,936**	**28,421**	**23,257**	**12,526**	**4,895**	**3,819**	**13,817**	**18,336**	**15,982**	**11,601**	**3,671**

21.07.2026 तक

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस